I/30092/2023

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।

Email-rscelluk@gmail.com

पत्रांक /प्रवर्तन/ /1–8(127)/2023 दिनांक जुलाई, 2023

सेवा में,

1– समस्त जिला अधिकारी, उत्तराखण्ड

2– समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा),उत्तराखण्ड।

विषयः– "टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022" के अर्न्तगत जिला स्तरीय समिति के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–163(अ), दिनांक 25.02.2022 के अर्न्तगत पूर्व मे जारी अधिसूचना संख्या–440(अ), दिनांक 12.06.1989 "तोषण स्कीम, 1989" को अधिक्रांत करते हुये एक नयी स्कीम बनाई है। जिसका सक्षिप्त नाम **"टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022"** है। यह स्कीम 01 अप्रैल 2022 से प्रवृत हो गयी है। इस स्कीम के पैरा –11 में विहित व्यवस्था के अर्न्तगत उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति के गठन का प्राविधान किया गया है।

उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग–1 की अधिसूचना संख्या–140245/IX–1/195/2004 टी0सी0 देहरादून, दिनांक 24 जुलाई, 2023 के द्वारा "टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022" के पैरा –11 में विहित व्यवस्था के अर्न्तगत उत्तराखण्ड राज्य में प्रत्येक जिले हेतु जिला स्तरीय समिति के गठन की निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान कि गयी हैः–

क्र0 सं0	पदाधिकारी	पदनाम	प्रास्थिति
1	दावा निपटान आयुक्त	सम्बन्धित जनपद क जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दावा जांच अधिकारी	सम्बन्धित राजस्व जनपद के उप जिला मजिस्ट्रेट, जहां उप जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं है वहां सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार	सदस्य
3	जिले का पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4	जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी	सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
5	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट मोटरयान विभाग का कोई अन्य	सम्बन्धित जनपद के मुख्यालय पर तैनात सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्त्तन), जहां सहायक सम्भागीय	सदस्य

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by NARESH SANGAL, AsstDir-NS, ASSISTANT DIRECTOR (ROAD SAFETY), TRANSPORT COMMISSIONER on 21/07/2025 02:44 pm

	अधिकारी	परिवहन अधिकारी (प्रवर्त्तन) नियुक्त नहीं है वहां सहायक सम्भगीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	
6	अध्यक्ष द्वारा यथा नामनिर्दिष्ट सड़क सुरक्षा पहलुओं से संसक्त लोक या स्वैच्छाया संगठन का कोई सदस्य	जिलाधिकारी द्वारा नामित सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में संलग्न किसी स्वैच्छिक सेवा संस्था का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7	सधारण बीमा परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी	साधारण बीमा परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य सचिव

अतः उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग की उपर्युक्त अधिसूचना की प्रति आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त अधिसूचना के अनुसार जिला स्तरीय समिति का गठन करते हुये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–163(अ), दिनांक 25.02.2022 के अनुसार अग्रिम कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्न–अधिसूचना की प्रति।

भवदीय

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव, परिवहन/गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6– समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन एवं प्रवर्तन) उत्तराखण्ड।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त
उत्तराखण्ड।

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by NARESH SANGAL, AsstDir-NS, ASSISTANT DIRECTOR (ROAD SAFETY), TRANSPORT COMMISSIONER on 21/07/2025 02:44 pm